आशय बहुत स्पष्ट नहीं है । ऐसे तीन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं जो उत्तर प्रदेश में पंजीकृत (रजिस्टर्ड) हैं; इनके नाम हैं, बरेली कारपोरेशन (बैंक) लिमिटेड, बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड और हिन्दुस्तान कमर्शल बैंक लिमिटेड।

(ख) 31 दिसम्बर, 1965 को उत्तर प्रदेश में 22 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने 540 कार्यालयों सहित काम कर रहे थे, जिनमें कुल मिला कर 226 करोड़ रुपये की रकमें जमा थीं और उन्होंने 99 करोड़ रुपये के अग्रिम दे रहे थे। ये बैंक ऋण सम्बन्धी स्थानीय आवश्यकताएं पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात के लिये जोर डालना सम्भव नहीं होगा कि किसी बैंक द्वारा किसी खास इलाके से जमा की गयी रकमें केवल उसी इलाके में इस्तेमाल की जायं, क्योंकि ये रकमें उन्हीं केन्द्रों में लगायी जायेंगी जहां उनके लगाने से लाभ हो सकता है।

(ग) और (घ). रिज़र्व बैंक की नीति है कि इस प्रकार के सक्षम प्रादेशिक एककों के निर्माण के उद्देश्य से, जो अपने कार्य-क्षेत्र में व्यापार और उद्योग की आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक पूरा कर सकें, बैंकों के आपस में सुव्यवस्थित ढंग से विलय द्वारा देश में बैंक-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाय। रिज़र्व बैंक को किसी नयी बैंकिंग कम्पनी की स्थापना पर आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते कि यह कम्पनी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करती हो और इसके विकास की संभावना हो। लेकिन बैंकों का गठन जिलों के आधार पर करना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ये बैंक सक्षम न बन सकें।

उत्तर प्रदेश में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी लगाई जाना

7068. श्री शिवचरण लाल :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री राम चरण :
श्री रामजी राम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने उत्तर प्रदेश में उस अनुपात में पूंजी नहीं लगाई है जिस अनुपात में उसे उस राज्य से धन प्राप्त होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह निगम पूंजी लगाने के मामले में उत्तर प्रदेश, मद्रास और पश्चिम बंगाल में भेद-भाव पूर्ण बर्ताव करता है; और

(ग) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों में जीवन बीमा निगम को उत्तर प्रदेश, मद्रास तथा पश्चिम बंगाल से क्रमशः कितना कितना धन प्राप्त हुआ तथा इस धन में से निगम ने उन राज्यों में उद्योगों आदि में राज्यवार कितनी कितनी पूंजी लगाई ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना इकटठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

वर्तमान सिंचाई साधनों की मरम्मत के लिये राज्यों को सहायता

7069. श्री शिवचरण लाल :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री राम चरण :
श्री रामजी राम :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सिंचाई साधनों की मरम्मत, बजरों तथा नौकाओं पर पम्पिंग सेट लगाने, वर्तमान नलकूपों की मरम्मत करने, नये नल-कूप लगाने, बेकार पड़े नल-कूपों को ठीक करने तथा सिंचाई के बड़े साधनों के लिये गत पांच वर्षों में केन्द्र ने उत्तर प्रदेश, मद्रास तथा पश्चिम बंगाल को क्रमशः कितनी सहायता दी; और